सप्तदश बिहार विधान सभा

अष्टम सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या–11 शुक्रवार, दिनांक–17 मार्च, 2023 ई०।

माननीय अध्यक्ष श्री अवध बिहारी चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न से 12:32 बजे अपराह्न तक।

सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होते ही आसन की अनुमति से माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा मुजफ्फरपुर जिले की घटना से संबंधित मामला उठाया गया। इस दौरान इस विषय पर सरकार से उत्तर की मांग करते हुए विपक्ष के माननीय सदस्यगण शोरगुल और नारेबाजी करते हुए वेल में आ गये।

आसन द्वारा कहा गया कि इस विषय को पूर्व में भी उठाया जा चुका है। सरकार इसे दिखवा रही है और उचित कार्रवाई करेगी। साथ ही संसदीय कार्य मंत्री से इस सूचना को पुनः ग्रहण करने का अनुरोध किया गया।

आसन द्वारा बार–बार विपक्ष के माननीय सदस्यों से अपने–अपने स्थान पर बैठ जाने का अनुरोध किया गया, किन्तु विपक्ष के माननीय सदस्यगण शोरगुल करते हुए सदन से बर्हिगमन कर गये।

[1] **प्रश्नकाल** :–

(i) 04 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित।

(ii) 02 अल्पसूचित प्रश्न अपृष्ठ।

(iii) 18 तारांकित प्रश्न उत्तरित।

(iv) 01 तारांकित प्रश्न संख्या–1965 पंचायती राज विभाग में स्थानान्तरित।

(v) 25 तारांकित प्रश्न अपृष्ठ।

(vi) 92 तारांकित प्रश्न अनागत।

तारांकित प्रश्न संख्या–1971 के निस्तारण के दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण पुनः सदन में आ गये।

तदुपरान्त माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा मुजफ्फरपुर जिले की घटना पर सरकार से उत्तर की मांग की गयी।

आसन की अनुमति से माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, श्री श्रवण कुमार ने कहा कि विपक्ष के माननीय सदस्यगण किसी विषय को लेकर सदन से बहिर्गमन करते हैं और सदन मे वापस आकर पुनः उसी विषय को उठाते हैं। विपक्ष के माननीय सदस्यगण आसन पर दबाव बना रहे हैं, यह उचित नहीं है।

तत्पश्चात आसन द्वारा कहा गया कि सदन बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के तहत चलता है। यह किसी के दबाव में नहीं चलता है।

[2] कार्य स्थगन प्रस्ताव :–

माननीय सदस्य, श्री अरूण शंकर प्रसाद, श्री संजय सरावगी, श्री विजय कुमार खेमका, श्री जनक सिंह, श्री उमाकांत सिंह, श्री विद्या सागर केशरी, डॉ० निक्की हेम्ब्रम, श्रीमती गायत्री देवी एवं श्री प्रेम कुमार द्वारा दिया गया कार्य स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा इसे अमान्य करने की घोषणा की गयी।

[3] शून्यकाल :–

शून्यकाल की सूचना के अन्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गयाः–

(i)	श्रीमती मंजु अग्रवाल	(ii)	श्री इजहारूल हुसैन
(iii)	श्री महा नंद सिंह	(iv)	श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकु सिंह
(v)	श्री अचमित ऋषिदेव	(vi)	श्री छत्रपति यादव
(vii)	श्री रत्नेश सादा	(viii)	श्री अजय कुमार
(ix)	श्री गोपाल रविदास	(x)	श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता
(xi)	श्री राम रतन सिंह	(xii)	श्री भरत बिंद
(xiii)	श्री राजेश कुमार गुप्ता	(xiv)	श्री ललित नारायण मंडल
(xv)	श्री अजीत कुमार सिंह	(xvi)	श्री अरूण सिंह
(xvii)	श्री मुकेश कुमार यादव	(xviii)	श्री अमरजीत कुशवाहा
(xix)	श्री संदीप सौरभ	(xx)	श्री सूर्यकांत पासवान
(xxi)	श्री भूदेव चौधरी	(xxii)	श्री रामबली सिंह यादव
(xxiii)	श्री सतीश कुमार	(xxiv)	श्री मनोज मंजिल
(xxv)	श्री महबूब आलम	(xxvi)	श्री रामवृक्ष सदा
(xxvii)	श्री मोहम्मद अनजार नईमी	(xxviii)	श्री विजय कुमार
(xxix)	श्री राम विशुन सिंह	(xxx)	श्री राजेश कुमार
(xxxi)	श्री संजय कुमार गुप्ता	(xxxii)	श्री सुदामा प्रसाद

[4] ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :–

(i) माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार एवं अन्य सभासदों का कृषि विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय मंत्री, कृषि विभाग, श्री कुमार सर्वजीत द्वारा इसका उत्तर दिया गया।

(ii) माननीय सदस्य, डॉ० संजीव कुमार एवं अन्य सभासदों का स्वास्थ्य विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना स्थगित हुई।

[5] सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :–

माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के तहत साउथ बिहार पावन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक)

[इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

[6] वित्तीय कार्य :–वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों [खंड–07 ऊर्जा विभाग; मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग; योजना एवं विकास तथा विधि विभाग] पर वाद–विवाद तथा मतदान।

माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों में से ऊर्जा विभाग से संबंधित अनुदान की मांग को प्रस्तुत किया गया।

तदुपरान्त माननीय सदस्य, श्री संजय सरावगी द्वारा कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

तत्पश्चात अनुदानो की मांग एवं कटौती प्रस्ताव पर वाद–विवाद में निम्नांकित माननीय सदस्यो ने भाग लिया:–

1. श्री संजय सरावगी
2. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह
3. श्री विनय बिहारी
4. श्री सिद्धार्थ पटेल
5. श्री अवधेश सिंह

[इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

6. श्री आनन्द शंकर सिंह
7. श्री बीरेन्द्र कुमार
8. श्री अमरजीत कुशवाहा
9. श्री भीम कुमार सिंह
10. श्री सुनील मणि तिवारी
11. श्री अनिल कुमार
12. श्री अजय कुमार
13. श्री सुर्यकांत पासवान
14. श्रीमती कविता देवी
15. श्री मोहम्मद अनजार नईमी
16. श्री अचमित ऋषिदेव

[इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

तत्पश्चात माननीय मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, श्री सुनील कुमार तथा माननीय मंत्री, विधि विभाग, श्री शमीम अहमद द्वारा अपने–अपने विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं के बारे में संक्षिप्त रूप में अपना–अपना पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा सरकार की ओर से वाद–विवाद का विस्तारपूर्वक उत्तर दिया गया तथा पक्ष रखा गया।

इस दौरान सरकार के उत्तर से असंतुष्ट होकर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये।

तत्पश्चात माननीय सदस्य, श्री संजय सरावगी का कटौती प्रस्ताव सदन से अस्वीकृत हुआ तथा ऊर्जा विभाग से संबंधित अनुदान की मांग का मूल प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ।

[7] निवेदन :–

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 52 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जायेंगे।

तत्पश्चात् सभा की बैठक सोमवार, दिनांक–20 मार्च, 2023 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।

पटना
दिनांक–17.03.2023

पवन कुमार पाण्डेय
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।